न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बृज मोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : पाली / निर्णय / 9 / 2018

1. घीसीदेवी पत्नी भोपालसिंहजी,
2. भोपालसिंह पुत्र गिरधारीसिंहजी,
3. गणपतसिंह पुत्र भोपालसिंहजी
4. सरोज पत्नी गणपतसिंहजी

जातिगण पुरोहित निवासीगण मादा तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)

..... अपीलार्थीगण

ब ना म

1. राज. राज्य जरिए तहसीलदार (भूमिधारी), देसूरी
2. नरपतसिंह पुत्र भोपालसिंहजी
3. चरणसिंह पुत्र भोपालसिंहजी
4. राजुसिंह पुत्र भोपालसिंहजी
5. श्रीमती सुगनकंवर पत्नी भोपालसिंहजी
6. नाहरसिंह पुत्र कानसिंहजी
7. गुमानसिंह पुत्र कानसिंहजी
8. सूर्यप्रकाश पुत्र भीकसिंहजी
9. घनश्यामसिंह पुत्र भीकसिंहजी
10. लीलाकंवर पुत्री भीकसिंहजी
11. आशाकंवर पुत्री भीकसिंहजी
12. मीनू कंवर पुत्री भीकसिंहजी
13. श्रीमती उगमकंवर पत्नी भीकसिंहजी

जातिगण पुरोहित निवासीगण आना तहसील देसूरी जिला पाली

14. मृत समा पुत्र नेना के वारिसान :–

14 / 1. कांतिलाल पुत्र समाजी
14 / 2. राजू पुत्र समाजी
14 / 3. हीरालाल पुत्र समाजी
14 / 4. प्रवीणकुमार पुत्र समाजी
14 / 5. पंकी पत्नी समाजी
14 / 6. गीता पुत्री समाजी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली
पाली

जातिगण लुहार निवासीगण आना तहसील देसूरी जिला पाली

15. मृत बाबु पुत्र समा के वारिसान :–

15/1. महेशकुमार पुत्र बाबुलालजी

15/2. पिस्ता पत्नी बाबुलालजी

15/3. पुजा पुत्री बाबुलालजी

15/4. करिश्मा पुत्री बाबुलालजी

15/5. हिना पुत्री बाबुलालजी

15/6. आस्मिता पुत्री बाबुलालजी

जातिगण लुहार निवासीगण आना तहसील देसूरी जिला पाली

16. कांतिलाल पुत्र समाजी जाति लुहार

17. मोहनलाल पुत्र खीमाजी

18. वाला पुत्र खीमाजी

जातिगण सुथार निवासीगण आना तहसील देसूरी

19. जीवा पुत्र सरताजी जाति चौधरी निवासी आना

20. मृत समा पुत्र दुदाजी के वारिसान :–

20/1. अंसी पत्नी समाजी

20/2. भेराराम पुत्र समाजी

20/3. नेकूबाई पुत्री समाजी

20/4. रामुबाई पुत्री समाजी

20/5. धापूबाई पुत्री समाजी

20/6. गुडिया पुत्री समाजी

जातिगण कुम्हार निवासीगण आना तहसील देसूरी

21. मृत रता पुत्र देवारामजी के वारिसान :–

21/1. जमनी पत्नी रतारामजी

21/2. मोहनलाल पुत्र रतारामजी

21/3. कपूरचंद पुत्र रतारामजी

21/4. सकाराम पुत्र रतारामजी

21/5. हंजा पुत्री रतारामजी

जातिगण कुम्हार निवासीगण आना तहसील देसूरी

22. चन्द्रा जोजे ओगड़जी जाति लुहार निवासी सारंगवास तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)

23. घीसूसिंह पुत्र रामसिंहजी

24. श्रवणसिंह पुत्र रामसिंहजी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

25. सुखीबाई पत्नी रामसिंहजी
26. मांगीलाल पुत्र केशरसिंहजी
27. मृत प्रेमसिंह पुत्र रावतसिंहजी लाऔलाद फौत
28. अचलसिंह पुत्र रावतसिंहजी
29. कीकसिंह पुत्र रावतसिंहजी
30. विजयसिंह पुत्र रावतसिंहजी

जातिगण पुरोहित निवासीगण आना तहसील देसूरी जिला पाली

..... रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थिति :–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलार्थीगण।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील संख्या : पाली / निर्णय / 12 / 2018

1. नाहरसिंह पुत्र कानसिंहजी
2. गुमानसिंह पुत्र कानसिंहजी
3. सूर्यप्रकाश पुत्र भीकसिंहजी
4. घनश्यामसिंह पुत्र भीकसिंहजी
5. लीलाकंवर पुत्री भीकसिंहजी
6. आशाकंवर पुत्री भीकसिंहजी
7. मीनू कंवर पुत्री भीकसिंहजी
8. श्रीमती उगमकंवर पत्नी भीकसिंहजी
9. घीसूसिंह पुत्र रामसिंहजी
10. श्रवणसिंह पुत्र रामसिंहजी
11. सुखीबाई पत्नी रामसिंहजी
12. मांगीलाल पुत्र केशरसिंहजी
13. अचलसिंह पुत्र रावतसिंहजी
14. विजयसिंह पुत्र रावतसिंहजी

जातिगण पुरोहित निवासीगण आना तहसील देसूरी जिला पाली

.... अपीलार्थीगण

ब ना म

1. राज. राज्य जरिए तहसीलदार (भूमिधारी), देसूरी
2. नरपतसिंह पुत्र भोपालसिंहजी
3. चरणसिंह पुत्र भोपालसिंहजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

4. राजुसिंह पुत्र भोपालसिंहजी
5. श्रीमती सुगनकंवर पत्नी भोपालसिंहजी

जातिगण पुरोहित निवासीगण आना तहसील देसूरी

6. घीसीदेवी पत्नी भोपालसिंहजी,
7. भोपालसिंह पुत्र गिरधारीसिंहजी,
8. गणपतसिंह पुत्र भोपालसिंहजी
9. सरोज पत्नी गणपतसिंहजी

जातिगण पुरोहित निवासीगण मादा तहसील देसूरी जिला पाली

10. मृत समा पुत्र नेना के वारिसान :-

10/1. कांतिलाल पुत्र समाजी

10/2. राजू पुत्र समाजी

10/3. हीरालाल पुत्र समाजी

10/4. प्रवीणकुमार पुत्र समाजी

10/5. पंकी पत्नी समाजी

10/6. गीता पुत्री समाजी

जातिगण लुहार निवासीगण आना तहसील देसूरी जिला पाली

11. मृत बाबु पुत्र समा के वारिसान :-

11/1. महेशकुमार पुत्र बाबुलालजी

11/2. पिस्ता पत्नी बाबुलालजी

11/3. पुजा पुत्री बाबुलालजी

11/4. करिश्मा पुत्री बाबुलालजी

11/5. हिना पुत्री बाबुलालजी

11/6. आस्मिता पुत्री बाबुलालजी

जातिगण लुहार निवासीगण आना तहसील देसूरी जिला पाली

12. कांतिलाल पुत्र समाजी जाति लुहार
13. मोहनलाल पुत्र खीमाजी
14. वाला पुत्र खीमाजी

जातिगण सुथार निवासीगण आना तहसील देसूरी

15. जीवा पुत्र सरताजी जाति चौधरी निवासी आना
16. मृत समा पुत्र दुदाजी के वारिसान :-

16/1. अंसी पत्नी समाजी

16/2. भेराराम पुत्र समाजी

16/3. नेकूबाई पुत्री समाजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

16/4. रामुबाई पुत्री समाजी

16/5. धापूबाई पुत्री समाजी

16/6. गुडिया पुत्री समाजी

जातिगण कुम्हार निवासीगण आना तहसील देसूरी

17. मृत रता पुत्र देवारामजी के वारिसान :–

17/1. जमनी पत्नी रतारामजी

17/2. मोहनलाल पुत्र रतारामजी

17/3. कपूरचंद पुत्र रतारामजी

17/4. सकाराम पुत्र रतारामजी

17/5. हंजा पुत्री रतारामजी

जातिगण कुम्हार निवासीगण आना तहसील देसूरी

18. चन्द्रा जोजे ओगड़जी जाति लुहार निवासी सारंगवास तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)

19. प्रेमसिंह पुत्र रावतसिंहजी

20. मृत कीकसिंह पुत्र रावतसिंहजी (लाऔलाद फौत)

जातिगण पुरोहित निवासीगण आना तहसील देसूरी

.... रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थिति :–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलार्थीगण।

2. रेस्पोडेण्ट संख्या एक की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 15/12/2020

1. उपरोक्त दोनों अपीले अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी न्याय आपके द्वार अभियान 2017 केम्प, आना द्वारा राजस्व वाद संख्या 39/2015 अनवान सरकार बनाम नरपतसिंह में पारित निर्णय दिनांक 22.05.2017 के विरूद्ध अलग अलग पेश की गई है। जिसे दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या एक की ओर से सरकारी पैरोकार बाद तामिल उपस्थित है। शेष रेस्पोडेण्ट की तलबी हेतु पत्रावली लम्बित चली आ रही है। इस दौरान दोनों ही अपीलों में अपीलाण्ट द्वारा अलग अलग आवेदन पेश कर सरकारी पैरोकार के अलावा शेष रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहे जाने और प्रफोर्मा रेस्पोडेण्ट होने से तर्क किये जाने

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

का निवेदन किया, जिस पर आवेदन स्वीकार कर शेष रेस्पोडेण्ट को तर्क किया गया। पत्रावली में अंतिम बहस सुनी गई।

2. कि अपीलार्थी ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या एक द्वारा एक आवेदन धारा 177 राज. टिनेंसी एक्ट के तहत् इस आशय का पेश किया कि ग्राम आना के खसरा संख्या 697 से 715 रकबा 8.75 हैक्टेयर भूमि अधीनस्थ न्यायालय मे नियोजित किये गये अप्रार्थीगण संख्या 1 से 33 की संयुक्त खातेदारी की आई हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 से 16 ग्राम मादा के निवासी है और शेष आना व सांगवास के निवासी है। उपरोक्त भूमि पर बिना रूपान्तरण की कार्यवाही किये अकृषि प्रयोजनार्थ आवासीय योजना बनाकर भूखण्ड काटकर बेचाण किये गये है। खातेदार द्वारा खातेदारी अधिकारी शर्तो की पालना नहीं की जा रही है। पटवारी द्वारा दिनांक 22.06.2015 को रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर जानकारी होना बताकर भूमि को सिवाय चक कर अप्रार्थीगण को बेदखल करने का अनुतोष चाहा गया था।

3. कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना दिनांक के ही प्रकरण दर्ज कर पेशी दिनांक 21.12.2015 को नियत की गई। तत्पश्चात् अप्रार्थीगण तलबी हेतु पत्रावली लम्बित रही। दौराने प्रकरण अप्रार्थी संख्या 17, 18, 23, 24 की मृत्यु होने से कायम मुकाम कार्यवाही हेतु सरकारी पैरोकार द्वारा समय चाहा गया। इस दौरान पेशी दिनांक 01.05.2017 को नियत थी, लेकिन पत्रावली उक्त पेशी पर न्यायालय में नहीं आई और सीधे ही बिना नोटिस के ही पत्रावली दिनांक 22.05.2017 को केम्प में पेश होना बताकर अपीलाधीन निर्णय द्वारा निर्णित कर अपीलाण्ट्स के खातेदारी भूमि को सिवाय चक करने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली की अंतिम आदेशिका देखने से ही प्रकट है कि कुछ रेस्पोडेण्ट के हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान खाली पेज पर करवाये गये है और उस पर आदेशिका बाद में अंकित की गई है, जो न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग करते हुए पक्षकारो को गुमराह कर मुगालते में रखते हुए निर्णय पारित किया है, जो अवैध है।

4. धारा 177 के आवेदन के साथ शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है, जो पेश किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक वाद के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत होना आवश्यक है, अन्यथा विधिक रूप से प्रकरण दर्ज योग्य भी नहीं रहता है। धारा 177 के आवेदन में वादकारण भी अंकित नहीं है। इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कारण से भी वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत् खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत होने से पूर्व ही अप्रार्थी संख्या 17, 18, 23, 24 की मृत्यु हो चुकी थी। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पेश किया गया था, जो नलीटी है। अधीनस्थ न्यायालय में सरकारी पैरोकार द्वारा कायम मुकाम कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक 12.08.2016 को समय चाहा गया था, लेकिन 8–9 माह तक न तो आवेदन पेश किया, न ही कार्यवाही की गई, इसलिए प्रकरण स्वतः ही एबेट हो चुका था, साथ ही जिस दिन अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, उसी दिन कायम मुकाम आवेदन पेश होना बताया गया है, लेकिन आवेदन के साथ न तो एबेटमेन्ट को सेटएसाईट किये जाने हेतु आदेश 22 नियम 9 सीपीसी के तहत् आवेदन पेश किया गया था, न ही म्याद के सम्बन्ध में आवेदन पेश किया गया था। ऐसी सूरत में प्रकरण पूर्णरूपेण म्याद बाहर एवं एबेट होने से इस आधार पर ही खारिज योग्य था, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए एक ही दिन में कायम मुकाम को अवैध रूप से रेकर्ड पर लेकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो अवैध है। प्रकरण प्रस्तुत होने से पूर्व पक्षकार की मृत्यु हो चुकी हो तो आदेश 22 के प्रावधान लागू नही होते है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के तहत् मृतको के वारिसान को रेकर्ड पर लेने का आदेश पारित किया, जो अवैध है। अप्रार्थी संख्या 1 से 12 ग्राम मादा के निवासी नही होकर आना के निवासी है, फिर भी मादा के पते से तलब किया गया, जो अवैध है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा कोई दस्तावेज अथवा मौखिक साक्ष्य वाद को साबित करने हेतु पेश नहीं की गई थी, न ही कोई दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये थे, ऐसी सूरत में साक्ष्य के अभाव में ही वाद खारिज योग्य था। अंत में अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने निवेदन किया कि प्रकरण में वर्णित भूमि का सहखातेदारान के मध्य आपसी सहमति से विभाजन हो रखा है और सभी अपने अपने हिस्सो पर काबिज है, साथ ही उपरोक्त भूमि पर सभी अपने अपने विभाजन में प्राप्त हिस्सो पर अलग अलग खातेदार काबिज है और हिस्से में प्राप्त भूमि पर प्रत्येक खातेदारान ने अपने निवास एवं कृषि प्रयोजनार्थ भण्डारण हेतु निर्माण कार्य किया है, जिस संबंध में रूपान्तरण अनुमति की कोई आवश्यक विधिक रूप से नहीं है। उपरोक्त भूमि का एकमात्र उपयोग कृषि कार्य है, प्रमाण में खसरा गिरदावरी संवत् 2073 व 2074 की अपील के साथ पेश की गई

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अ... प्राधिकारी
पाली

है, जिस अनुसार उपरोक्त कृषि भूमि पर काश्त किया जाना प्रमाणित है और किसी प्रकार का कोई अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग दर्ज नहीं है। उक्त खसरा गिरदावरी रेस्पोडेण्ट संख्या एक भूमिधारी के अधिनस्थ द्वारा भूमिधारी की देखरेख में तैयार की जाती है जो भूमिधारी का स्वीकृत दस्तावेज है। अपीलाधीन निर्णय पर प्रत्येक पेज पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होना आज्ञापक है, लेकिन केवल अंतिम पेज पर ही हस्ताक्षर है, इसके अलावा निर्णय में अनवान दर्ज नहीं है, जो दर्ज किया जाना आज्ञापक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही विधिक रूप से सही नही होने से अपास्त योग्य है। इसलिए अपील स्वीकार की जावे और अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

5. अपीलार्थीगण ने यह भी निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स को बिना नोटिस दिये ही पेशी दिनांक 01.05.2017 के स्थान पर दिनांक 22.5.2017 कर प्रकरण को केम्प में पेश होना बताकर निर्णित किया है। उपरोक्त निर्णय बिना अपीलाण्ट्स को नोटिस दिये, बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। जिसकी जानकारी दिनांक 15.02.2018 को होने पर उसी दिन नकलो हेतु आवेदन पेश किया और दिनांक 19. 02.2018 को नकले प्राप्त होने पर उक्त अपील संख्या 9/2018 पेश की गई। इसी तरह अपील संख्या 12/2018 के अपीलाण्ट्स के विरूद्ध भी एकपक्षीय बिना नोटिस के निर्णय पारित किया, जिसकी जानकारी दिनांक 21.02.2018 को होने पर उसी दिन नकलो हेतु आवेदन किये जाने पर दिनांक 26.02.2018 को नकले प्राप्त होने पर अपील पेश की गई है। उपरोक्त आवेदन मय शपथ पत्रका रेस्पोडेण्ट संख्या एक की ओर से खण्डन नहीं किया गया है, न ही जवाब पेश किया गया है, इसलिए आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया और अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने का निवेदन किया।

6. रेस्पोडेण्ट संख्या एक सरकारी पैरोकार की ओर से निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक रूप से कार्यवाही की गई है। अपीलाण्ट्स व अन्य ने अपील में वर्णित कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया है और मौके पर भूखण्ड बनाये है, निर्माण कार्य किया है, इस कारण से धारा 177 के तहत् विधिक रूप से भूमि को सिवायचक करने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के तहत् निर्णय पारित किया गया है, इसलिए अपील पोषणीय नही होने से खारिज योग्य है।

राजस्व अ... प्राधिकारी
पाली

7. दोनों पक्षो की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम दोनों ही अपीलों को एक साथ एक ही निर्णय द्वारा निर्णित किया जा रहा है, इसलिए निर्णय की प्रत्येक अपील में एक–एक प्रति रखी जावें। सर्वप्रथम धारा 5 के प्रार्थना पत्र को निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अपीलाण्ट्स द्वारा दोनों ही अपीलो में धारा 5 के आवेदन मय शपथ पत्र पेश किये है, जिसका रेस्पोडेण्ट की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है, साथ ही पेशी दिनांक 01.05.2015 को देसूरी न्यायालय में नियत होना प्रमाणित है, लेकिन उस दिनांक को पत्रावली पेशी में नहीं ली गई, और सीधे ही दिनांक 22.05.2017 को केम्प आना में पत्रावली पेश होना बताते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को होना विधिक रूप से संभव नहीं है। इसलिए दोनो ही अपीलों में धारा 5 के आवेदन को स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने से आवेदन स्वीकार किये जाते है और दोनों ही अपीले अंदर म्याद शुमार की जाती है।

8. जहां तक मैरिट का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि धारा 177 के आवेदन के साथ भूमिधारी का शपथ पत्र संलग्न नहीं है, जिसका होना आज्ञापक है, साथ ही आवेदन में वादकारण अंकित नहीं है, जो वादकारण अंकित होना आवश्यक है, क्योंकि वादकारण के बिना प्रकरण विधिक रूप से पोषणीय नही रहता है और आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत् किसी भी स्तर पर खारिज किया जा सकता है। अपीलार्थी का यह तर्क की अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 17, 18, 23, 24 की मृत्यु प्रकरण प्रस्तुति से पूर्व ही होने से आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के प्रावधान लागू नही होते है, इस सम्बन्ध में विधिक स्थिति स्पष्ट है कि आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के प्रावधान दौराने वाद प्रतिवादी की मृत्यु होने पर ही लागू होते है, इसके अलावा भी उक्त मृतक व्यक्तियों के वारिसान को रेकर्ड पर लिये जाने हेतु आवेदन करीब 9–10 माह बाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था, लेकिन आवेदन के साथ न तो शपथ पत्र था, न ही आदेश 22 नियम 9 सीपीसी के तहत् एबेटमेन्ट को सेटएसाईट किये जाने हेतु आवेदन और शपथ पत्र था, न ही उक्त म्याद बाहर आवेदन को अंदर म्याद शुमार किये जाने बाबत् धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन और शपथ पत्र पेश किया गया था, ऐसी सूरत में उपरोक्त आदेश 22 नियम 4 का आवेदन ही न तो पोषणीय था, न ही स्वीकार योग्य था, जिसे

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर विधिक रूप से भारी भूल की है। चूँकि प्रकरण मृतक व्यक्तियों के खिलाफ पेश किया गया है, जो विधिक रूप से नलीटी होने से इस आधार पर ही वाद खारिज योग्य था। इसके अलावा अपीलाण्ट द्वारा अपील के साथ खसरा गिरदावरी संवत् 2073–2074 पेश की गई है, जो दस्तावेज भूमिधारी रेस्पोडेण्ट का स्वीकृत दस्तावेज है, जिसमें उपरोक्त संपूर्ण कृषि भूमि पर काश्त होना अंकित है और संपूर्ण भूमि पर फसले होना अंकित है, ऐसी स्थिति में स्वीकृत दस्तावेज की उपधारणा किया जाना लाजमी है, जब भूमिधारी का ही स्वीकृत दस्तावेज उपरोक्त कृषि भूमि पर अकृषि कार्य होना नहीं दर्शाता है और मौके पर कृषि कार्य होना ही प्रमाणित करता है, तो ऐसी स्थिति में धारा 177 के प्रकरण को किसी भी रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है, न ही पोषणीय माना जा सकता है। विधिक प्रावधानो के तहत् प्रत्येक सहखातेदारान के अपने हिस्से की भूमि पर स्वयं के निवास हेतु आवास तथा कृषि भण्डारण हेतु गोदाम इत्यादि बनाने का अधिकार है और इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की अनुमति या रूपान्तरण की आवश्यकता नहीं रहती है, इस कारण से अगर किसी खातेदार द्वारा मौके पर कोई मकान या भण्डारण का निर्माण किया गया है, तो विधिक प्रावधानो के तहत् सही माना जाएगा।

अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट सरकारी पैरोकार द्वारा न तो मौखिक साक्ष्य न ही दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है, न ही दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये है, ऐसी सूरत में जब कोई साक्ष्य ही उपलब्ध नहीं है तो वाद को स्वीकार किया जाना अपने आप में ही अवैध है। दस्तावेज वाद में पेश होने से ही न तो साबित माना जाएगा न ही स्वीकृत माना जाएगा, जब तक कि मौखिक साक्ष्य से दस्तावेज को साबित नहीं किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय में मौखिक साक्ष्य पेश नहीं हुई थी, न ही कोई दस्तावेज को साबित किया गया था, ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में भी प्रकरण पोषणीय नहीं था, फिर भी उपरोक्त समस्त विधिक तथा वास्तविक स्थिति के विपरित जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो किसी भी रूप से पोषणीय नहीं है।

9. न्यायालय का मत है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत धारा 177 के आवेदन के साथ शपथ पत्र पेश नहीं होने, आवेदन में वादकारण बाबत् अभिवचन नहीं होने, मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध वाद प्रस्तुत होने, बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

एबेटमेन्ट सेटएसाईट के आवेदन, बिना म्याद आवेदन के मृतक व्यक्तियों के वारिसान को रेकर्ड पर लिये जाने, किसी प्रकार की दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य वाद को प्रमाणित करने हेतु पेश नहीं किये जाने, प्रस्तुत नवीनतम खसरा गिरदावरी अनुसार प्रकरण में वर्णित कृषि भूमि पर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं लिये जाने एवं भूमि का कृषि उपयोग होने बाबत् तथ्य अंकित होने से प्रकरण धारा 177 का पोषणीय नही रहता है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2017 अपास्त योग्य है।

लिहाजा अपील स्वीकार की जाती है, अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.05.2017 खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 15/12/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली